संख्या : 1/2022/बी-1-042/दस-2022

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 27 जनवरी, 2022

विषय : केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के एस.एन.ए. माड्यूल के माध्यम से कार्मिकों के वेतन के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

पी.एफ.एम.एस. डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनाँक 23 मार्च, 2021 द्वारा राज्य में संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को पी.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत एस.एन.ए. माड्यूल के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं । यह संज्ञान में आया है कि पी.एफ.एम.एस. के एस.एन.ए. माड्यूल में वेतन से सम्बन्धित कटौतियों हेतु कोई व्यवस्था न होने के कारण केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं, जिनमें वेतन से सम्बन्धित मद सम्मिलित हैं, उनमें कर्मचारियों के एन.पी.एस. आदि की कटौतियों में समस्या आ रही है ।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी.एफ.एम.एस. के एस.एन.ए. माड्यूल में वेतन से सम्बधित कटौतियों की व्यवस्था होने तक ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं, जिनमें कार्मिकों के वेतन मदों की बजट व्यवस्था निहित है, के कार्मिकों के वेतन का आहरण कोषागार के माध्यम से किया जाय ।

भवदीया,

एस.राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 1/2022/बी-1-042(1)/दस-2022, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) सचिव, पी.एफ.एम.एस. डिविजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

(2) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

(3) समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4) श्री हेमन्त श्रीवास्तव, राज्य प्रभारी, एस.पी.एम.यू., पी.एफ.एम.एस. को इस आशय से प्रेषित कि वे केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से आच्छादित कर्मचारियों के आहरित वेतन एवं तत्सम्बन्धी कटौतियों के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर लेखांकन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को कृपया सहयोग करें ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।